न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **44 / 2016** अपील (राजस्व)

कृष्णाकुंवर पुत्री एकलिंगसिंह जी राजपुत, निवासी सनवाड़, जिला उदयपुर हाल मुकाम कृष्णाकुंवर पत्नि अजीतसिंह जी राजपुत निवासी कारूण्डा, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री भेरूसिंह मु. एकलिंगसिंह जी राजपुत निवासी सनवाड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये उपतहसीलदार, उपतहसील सनवाड़, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956, नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 11.12.76 एवं नामान्तकरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.2002 वाके मौजा सनवाड़, जिला उदयपुर (राज.)

उपस्थित : श्री भगवानलाल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री भॅवरसिंह राव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—20.11.17

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ठिकाना सनवाड़ पटवार हल्का सनवाड़ की आराजीयात पूर्व में गोवर्धनसिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित थी। गोवर्धनसिंह जी के स्वर्गवास के बाद कुलिया आराजीयात एवं चल अचल सम्पत्ति एकलिंगसिंह जी के नाम से अंकित हुई। एकलिंगसिंह जी के कोई पुत्र नहीं था। उनकी दो पत्नियॉ प्रेमकुंवर व केसरकुॅवर थी। एकलिंगसिंह जी के कोई लड़का नहीं था। अपीलान्ट मात्र प्रेमकुॅवर से अपीलान्ट हुई। खाता संख्या 1132 की आराजी नम्बर 1207, 2654, 2681 किता 3 रकबा 6 बिघा 1 बिस्वा केवल मात्र एकलिंगसिंह जी की पत्नि केसरकुॅवर के नाम से अंकित थी। खाता संख्या 1194 की आराजी संख्या 1986, 2567, 3800, 3872, 5339 किता 5 रकबा 03 बिघा 07 बिस्वा भूमि एकलिंगसिंह जी के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट एवं प्रेमकुंवर व केसरकुॅवर

के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित होनी चाहिये थी किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक फर्जी गोदनामा खत बिना रजिस्टर्ड लिखवाकर दिनांक 07.07.58 का टिनेन्सी एक्ट लागु होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 266 में भी अपना नाम अंकित करवा दिया। खाता संख्या 743 में कुल भूमि 42 बिघा 14 बिस्वा एकलिंगसिंह जी के देहान्त दिनांक 29.10.76 के बाद अपने नाम दर्ज करवा दी गई एवं खाता संख्या 1195 की भूमि 20 बिघा 2 बिस्वा में केसरकुँवर के साथ अपने नाम दर्ज करवा दिया गया। इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व अधिकारीयो से मिलकर राजघराने की भूमि हड़पने की नियत से राजस्व अभिलेख में अपना नाम अंकित करा लिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा कई भूमियॉ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य को विक्रय कर दी हैं। अन्य बकाया आराजीयात में भी अपना नाम दर्ज करवा विक्रय हेतु आमादा हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री रघुवीरसिंह जी का पुत्र था एवं एक पुत्र चन्दनसिंह था जो जोरावरसिंह जी के यहॉ गोद चला गया। ऐसी सुरत में रघुवीरसिंह जी के मात्र एक पुत्र रेस्पोडेंट का एकलिंगसिंह जी के यहॉ गोद जाना किसी भी रूप से संभव नहीं हैं। खत पर जो गोदनामा लिखा गया है वह अपने आप में ही स्पष्ट फर्जी प्रतीत होता हैं। गोदनामे की कोई रस्म अदायगी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में गोदनामे के बजाय विरासत से इन्तकाल खोलते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 का नाम अंकित किया जावें। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 11.12.76 एवं नामान्तरकरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.2002 को निरस्त फरमाया जावें।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद कण्डोन कराये जाने का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीया एकलिंगसिंह जी की जायन्दा पुत्री हैं। वर्तमान में प्रार्थीया के अलावा स्वर्गीय श्री एकलिंगसिंह जी के अन्य कोई वैध वारीस नहीं हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व अधिकारीयो से मिलकर फर्जी गोदपत्र के आधार पर एकलिंगसिंह जी की समस्त भूमि को अपने नाम पर अपीलीय नामान्तरकरणो से दर्ज करा दी गई। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को अगस्त 2016 में सनवाड़ जाने पर हुई। जिसकी नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः देरी के समय को न्यायहीत में कण्डोन किया जाना न्यायोचित होने से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि एकलिंगसिंह जी के दो पत्नियॉ थी। बड़ी पत्नि का नाम केसरकुँवर था एवं दुसरी पत्नि प्रेमकूँवर थी। एकलिंगसिंहजी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 07.07.58 को रेस्पोडेंट भेरूसिंह को गोद लिया था। एकलिंगसिंह जी के स्वर्गवास एवं उनकी बड़ी पत्नि श्रीमती केसरकुँवर, दुसरी पत्नि प्रेमकुँवर एवं रेस्पोडेंट गोदपुत्र भेरूसिंह के नाम विरासत से नामान्तरीत हुई एवं केसरकुँवर के देहान्त के बाद रेस्पोडेंट भेरूसिंह के नाम पर

नामान्तरीत हुई। प्रेमकुँवर ने भी अपने जीवनकाल में दिनांक 19.07.97 को रेस्पोडेंट भेरूसिंह को गोदीना पुत्र मानते हुए न्यायालय एवं अन्य जगह कार्यवाही करने हेतु कागजो पर हस्ताक्षर करने इत्यादि समस्त कार्यवाही हेतु भेरूसिंह को अधिकृत किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपनी अपील मेमो में रेस्पोडेंट को गोदपुत्र नहीं माना यह कथन गलत अंकन किया हैं। जबकि एकलिंगसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 07.07.58 को गोदनामा वसीयतनामा निष्पादित कर दिया था एवं जाती रिती रिवाज व समाज की मौजुदगी में विपक्षी भेरूसिंह को गोद लिया गया। अपीलान्ट ने मात्र अपील का आधार बनाने की गरज से झुठे व मनगढंत तथ्यो का हवाला दिया है जिनका कोई औचित्य नहीं हैं। अपीलार्थीया कृष्ण कॅवर का विवाह अजीतसिंह झाला निवासी कारूण्डा तहसील छोटीसादड़ी के साथ करवा दिया। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में निवासरत हैं। मात्र जमीन को हड़पने की नियत से मिथ्या तथ्यो का आधार लेकर झुठी अपील प्रस्तुत की गई हैं। रेस्पोडेंट को जब गोद लिया गया था उस समय अपीलान्ट का जन्म ही नहीं हुआ था। लड़का नहीं होने का कारण रेस्पोडेंट को गोद लिया था। बड़ी दादीमा श्रीमती छगनकुँवर ने अपने जीवनकाल में बक्षीसनामा जमीन बाबत रेस्पोडेंट के पक्ष में निष्पादित की थी जिसकी प्रति संलग्न हैं। अपीलार्थीया अपने विवाह के बाद ही अपने पति के साथ ससुराल में निवासरत हैं। मात्र जमीन हड़पने की नियत से मियाद बाहर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपने प्रार्थना पत्र में जो कारण बताये गये है वे संतोषप्रद नहीं माने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपील को 40 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करना किसी भी परिस्थिति में विश्वसनीय एवं संतोषप्रद नहीं हैं। देरी को कण्डोन करने के कोई न्यायसंगत आधार नहीं हैं। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के दो पत्नियॉ क्रमशः प्रेमकुँवर व केसरकुँवर थी। एकलिंगसिंह जी का कोई लड़का नहीं था। अपनी पहली पत्नि प्रेमकुँवर के नुत्फे से अपीलान्ट कृष्णाकुँवर का जन्म हुआ। स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के समस्त चल अचल सम्पत्ति की वारीसान अपीलान्ट कृष्णाकुँवर ही थी। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 भेरूसिंह द्वारा फर्जी गोदनामा खत बिना रजिस्टर्ड दिनांक 07.07.58 का टिनेन्सी एक्ट लागु होने के बाद लिखवाकर अपीलीय नामान्तरकरण से स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के स्वर्गवास के बाद भूमि को राजस्व अभिलेख में पटवारी, नायब तहसीलदार सनवाड़ से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करवाता रहा। जो क्रमशः स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी की दोनो धर्मपत्नियों के स्वर्गवास के बाद भी उनके नाम दर्ज भूमि भी अपने नाम दर्ज करवाता रहा। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री भेरूसिंह किसी का गोदपुत्र नहीं था। नाही ऐसी कोई रजिस्ट्री लिखापड़ी हुई। सन् 1955 से पहले सभी आराजीयात जागीरदारो के अधिन होकर जागीरदारो के नाम से ही राजस्व अभिलेख में अंकित थी। राज्य सरकार द्वारा जागीरी रिज्युम की जाकर सन्

1955 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हो गया था। किन्तु उसके उपरान्त भी एक फर्जी गोदपत्र खत पर लिखा होकर बिना एकलिंगसिंह जी के अन्य वारीसानो की सहमति से राजस्व अधिकारी से मिलकर जरिये नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करवा दिया गया। जबकि नामान्तरकरण संख्या 2559 खोला गया उस समय स्वर्गीय प्रेमकुँवर जीवित थी एवं अपीलान्ट व प्रेमकुँवर स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हे बिना सुने ही रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। ऐसा नामान्तरकरण जिसमें हितबद्ध व्यक्तियो को बिना नोटिस दिये ही पारित कर दिया जाता है तो वह न्यायोचित नहीं हैं। इस प्रकार बगैर नोटिस दिये खोला गया नामान्तरकरण अवैध हैं। जहॉ तक कानुनन प्रश्न है वहॉ ''जहॉ कोई आदेश वॉयड एबईनिश्यो हो वहॉ उसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती हैं। उक्त प्रकरण में अपील 40 साल से अधिक समयावधि भी यदि प्रस्तुत की गई है तो जानकारी होने के पश्चात् प्रस्तुत की गई है जिसे समयावधि से बाधित होना नहीं माना गया है जहॉ प्रभावित पक्षकार को बगैर नोटिस दिये कोई आदेश पारित किया गया हो ऐसे एबईनिश्योवॉईड आदेश को धारा 3 मियाद अधिनियम के अधिन बाधित नहीं माना जा सकता है प्रभावित पक्षकार को बगैर सुने पारित किया गया आदेश अवैध है और उसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं। ऐसी सुरत में महज मियाद के बिन्दु पर खारीज नहीं किया जा सकता हैं।'' वर्तमान में स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के अपीलार्थीया मात्र एक अकेली प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा फर्जी गोदनामे से यह सारी कार्यवाही मिलीभगत से करवायी गई हैं। उक्त गोद बाबत एक पक्षकार होने बाबत एक प्रार्थना पत्र माननीय एडीजे कोर्ट मावली में पेश किया था। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय को गोदनामे के बजाय विरासत से इन्तकाल खोलते हुए नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था। अपनी बहस के समर्थन में विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आर आर डी 1994 पेज 77 से 79, आर आर डी 1992 पेज 598 से 601, आर आर टी (1) पेज 648 से 655 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के कोई पुत्र नहीं होने से उनके जीवनकाल में ही उनके द्वारा उनके भाई रघुवीरसिंह के पुत्र भेरूसिंह को जाति रिवाज के अनुसार दिनांक 07.07.58 को गोद ले लिया। जिसका गोदनाम एवं वसीयतनामा भी जाती रिवाज के हिसाब से लिख दिया गया। यह गोदनामा वसीयतनामा जाती रिती रिवाज एवं समाज की मौजुदगी में भेरूसिंह को गोद लेकर लिखा पड़ी कर एस डी एम कोर्ट व तहसील कार्यालय में एवं जहॉ जहॉ आवश्यकता हुई वहॉ पर पेश कर दिया। अपीलार्थीया द्वारा मात्र अपील का आधार बनाने की गरज से झुठे एवं मनगढंत तथ्यो का हवाला दिया गया है जिनका कोई औचित्य नहीं

हैं। जबकि कृष्णाकुॅवर का विवाह जाति रिवाज के अनुसार किया जाकर वह अपने ससुराल में निवासरत हैं। महज भूमि हड़पने हेतु एवं रेस्पोडेंट को हैरान व परेशान करने की गरज से झूठी तारीखे अंकित की हैं। जबकि अपीलान्ट को समस्त तथ्यो की जानकारी शुरू से ही हैं। रेस्पोडेंट को गोद लिया था उस समय अपीलान्ट का जन्म ही नहीं हुआ था। स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के पुत्र नहीं होने से ही रेस्पोडेंट भेरूसिंह को गोद लिया गया था। अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि गोद नहीं लिया गया। जबकि रेस्पोडेंट की बड़ी दादीमा छगनकुॅवर द्वारा भी एक बक्षीसनामा दिनांक 27.12.69 में सम्पादित किया था जिसमें रेस्पोडेंट को कुल आराजी किता 22 रकबा 43 बिघा 6 बिस्वा भूमि बक्षीस में दी गई थी। जिसमें भी उनके द्वारा अपने बक्षीसनामे में स्पष्ट अंकित किया है कि ''मेरा बड़ा लड़का एकलिंगसिंह के कोई लड़का नहीं होने से भेरूसिंह को गोद रखा हुआ हैं।'' बक्षीसनामा विधिवत उपपंजीयक मावली से पंजीयनशुदा हैं। जिससे स्वतः ही अपीलार्थी का यह कथन अमान्य हो जाता है कि स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी द्वारा भेरूसिंह को गोद नहीं लिया गया। पूर्व में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा सीलिंग भूगतान भूमि अवाप्ति भूगतान आदि में जो जॉच की गई जिसमें स्वर्गीय श्री एकलिंगसिंह के वारीसानो के जो सजरे प्रमाणित किये गये है उन सभी सजरो में रेस्पोडेंट को गोदपुत्र बताया गया हैं। स्वयं स्वर्गीय प्रेमकुॅवर द्वारा भी एक अधिकार पत्र दिनांक 19.07.97 को भेरूसिंह के पक्ष में दिया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भेरूसिंह मेरा गोदीना पुत्र हैं। जिसमें सारे अधिकार रेस्पोडेंट को प्रदान किये गये हैं। जिसे नोटेरी द्वारा प्रमाणित किया गया हैं। जहॉ तक मियाद के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह कतई विश्वास योग्य नहीं हैं। अपीलीय नामान्तरकरण 266 दिनांक 11.12.76 को प्रमाणित हुआ हैं। यानिकी 41 वर्ष पूर्व तस्दीक हुआ हैं। द्वितीय अपीलीय नामन्तरकरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.02 को प्रमाणित हुआ है यानिकी आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व। जिसकी अपीले अब किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं हैं। अपीलार्थी का यह कहना कि अगस्त 2016 में अपीलान्ट ने सनवाड़ जाने पर नामान्तरकरण व राजस्व अभिलेख की नकले प्राप्त की तो इसकी जानकारी हुई जबकि उनके केसरकुॅवर का देहान्त 1997 में हो गया एवं प्रेमकुॅवर का देहान्त जुन 2016 में हुआ। तो क्या अपीलार्थीया 1997 के बाद में कभी सनवाड़ नहीं गई। मात्र अपील को मियाद अवधि में लेने की गरज से ऐसे झुठे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जबकि माननीय सवोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अनेकानेक निर्णयो में देरी को क्षमा करने के संबंध में इस आशय का मुलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जब तक अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील दायर करने के संबंध में की गई देरी के संबंध में सत्य विश्वसनीय एवं संतोषप्रद कारण से अपीलीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता जब तक अपील दायर में करने में की गई देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता हैं। अपीलार्थी द्वारा दिये गये कारण संतोषप्रद व विश्वसनीय नहीं हैं। इस कारण 40 वर्ष व 15 वर्ष की अति देरी को कण्डोन करने के कोई न्यायसंगत आधार

नहीं हैं। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारीज करना फरमावें। अपनी बहस के समर्थन में आर आर टी 2011 (1) पेज 614, आर बी जे (15) 2008 पेज 674, आर आर टी 2011 (2) पेज 851, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 1089 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय अधिवक्ता अपीलार्थी के इस कथन से सहमत है कि ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसपर बगैर नोटिस दिये गये कोई आदेश पारित किया गया हों। हस्तगत प्रकरण में अपीलीय नामान्तरकरण पारित करते समय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारानो को कभी कोई नोटिस नहीं देकर उनकी अनुपस्थिति में ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। अतः अपीलार्थीया का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना न्यायोचित हैं।

हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्या यह स्वतः ही साबित होता है कि अपीलार्थीया एकलिंगसिंह जी की मात्र एक अकेली पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं। संलग्न जमाबन्दी ग्राम सनवाड़ के खाता संख्या 862 में अपीलार्थीया का नाम अंकित हैं। साथही पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार मावली का पत्र क्रमांक 619 दिनांक 16.07.97 में एकलिंगसिंह जी के वारीसानो में रेस्पोडेंट भेरूसिंह का नाम अंकित होकर गोद का पुत्र दर्शा रखा हैं। पटवारी हल्का सनवाड़ द्वारा भी एक रिपोर्ट दिनांक 07.04.87 को की गई है जिसमें रेस्पोडेंट को गोदपुत्र बताया गया हैं। रेस्पोडेंट के बड़ी दादीमा श्रीमती छगनकुँवर बाई विधवा गोरधनसिंह जी राणावत निवासी सनवाड़ द्वारा एक बक्षीसनामा रेस्पोडेंट के पक्ष में दिनांक 27.12.69 को सम्पादित किया है जिसमें उन्होने स्पष्ट अंकित किया है कि ''मेरा बड़ा श्री एकलिंगसिंह जी के कोई लड़का नहीं होने से श्री एकलिंगसिह जी ने इस लड़का श्री भेरूसिंह को गोद रखा हुआ है जिससे इस बक्षीस की हुई सम्पत्ति से हर दोनो लड़को को किसी किस्म का ऐतराज नहीं हैं। वैसे श्री भेरूसिंह मेरा पोता हैं।'' पत्रावली में एक और पत्र जो तहसीलदार मावली द्वारा उपखण्ड अधिकारी को जरिये पत्र क्रमांक 725 दिनांक 12.09.96 से लिखा हैं। जिसमें लिखा है कि हंसा बाई के पति का नाम गोवर्धनसिंह था। हंसा बाई व गोवर्धनसिंह की मृत्यु हो गई हैं। गोवर्धनसिंह के दो पुत्र एकलिंगसिंह व रघुवीरसिंह थे जिनका भी देहान्त हो गया हैं। एकलिंगसिंह जी की दो पत्नियॉ क्रमशः केसरकुँवर व प्रेमकुँवर थी जो जीवित हैं। केसरकुँवर के कोई औलाद नहीं होने से भेरूसिंह को गोद लिया है जिससे भेरूसिंह दत्तक पुत्र हुआ व प्रेमकुँवर के एक पुत्री श्रीमती कृष्णा कुमारी हैं। इस प्रकार हंसा बाई के वारीसो में भेरूसिंह केसरकुँवर प्रेमकुँवर व कृष्णाकुमारी हैं। जिससे भी यह साबित होता है कि स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के वैध वारीसानो में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीयो में अपीलार्थीया के अलावा रेस्पोडेंट संख्या 1 भी हैं। यानिकी रेस्पोडेंट को जाती रिवाज के

अनुसार दिनांक 07.07.1958 को स्वर्गीय एकलिंगसिंह जी के जीवनकाल में ही गोद लिया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण में कृष्णाकुंवर, एकलिंगसिंह जी की जायन्दा पुत्री है, एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के संशोधन के बाद पिता की सम्पति में पुत्रियों का भी हक बनता है, जिससे एकलिंगसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् हिन्दु उतराधिकार के प्रावधानों के तहत पुत्रियो का भी हक बनता है और इस प्रकार उतराधिकार के आधार पर पुत्री को भी हक मिलना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड़ द्वारा तत्समय बिना वारिसान की जांच किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर ही नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 11.12.1976 स्वीकृत कर दिया जो की त्रुटीपूर्ण है। यद्यपी अपीलान्ट ने नामान्तरकरण की अपील 40 वर्ष पश्चात् की है परन्तु मात्र इस आधार पर उसके उतराधिकार के तहत मिलने वाले हक समाप्त नहीं हो जाते है साथ ही प्रश्नगत नामान्तरकरण जो स्वीकृत किया गया था व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारानो को कभी कोई नोटिस नहीं देकर उनकी अनुपस्थिति में ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। ऐसे नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्यप्रभावी है एवं उसके आधार पर किये गये पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण भी शुन्यप्रभावी है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड़ का ग्राम सनवाड़ का नामान्तरकरण संख्या 266 दिनांक 11.12.1976 एवं नामान्तरकरण संख्या 2559 दिनांक 10.12.2002 निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार मावली को प्रकरण इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारो को सुनकर नियमानुसार स्व. श्री एकलिंगसिंह जी पिता गोवर्धन सिंहजी के वैध वारिसानो के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करे।

पत्रावली फैसल शुमार हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर